भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2550**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति

2550. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितने क्षेत्र परिचालित, गैर- परिचालित और डि-नोटिफाइड हैं और तत्संबंधी क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अधिसूचित कुल भूमि क्षेत्र और वर्तमान में सक्रिय आर्थिक उपयोग के अंतर्गत आने वाले भूमि क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा किए गए निर्यात, घरेलू मूल्य संवर्धन और सृजित रोजगार का राज्य-वार, क्षेत्र वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वीकृत इकाइयों बनाम परिचालित इकाइयों के संदर्भ में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की औसत क्षमता उपयोग कितना है और यदि इसका कम उपयोग हुआ है, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ङ) क्या यह निर्धारित करने के लिए कोई आकलन, संपरीक्षा या मूल्यांकन किया गया है कि क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी इच्छित क्षमता पर काम कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) उपयोग में सुधार करने, निवेश आकर्षित करने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) अधिसूचित, परिचालित, गैर-परिचालित और डी-नोटिफाइड अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संख्या का राज्य/संघ- राज्य क्षेत्र (यूटी) वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। एसईजेड का क्षेत्रवार विवरण https://sezindia.gov.in/sites/default/files/approved_sez/Sector%20wise%20distribution पर उपलब्ध है।

(ख) देश में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए के लिए अधिसूचित और वर्तमान में परिचालित कुल भूमि क्षेत्र का राज्य/ संघ- राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान एसईजेड द्वारा किए गए निर्यात और सृजित रोजगार का राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ) स्वीकृत इकाइयों की तुलना में परिचालित इकाइयों के संदर्भ में एसईजेड की क्षमता उपयोग का विवरण **अनुलग्नक -IV** में दिया गया है। एसईजेड को परिचालित करने में लगने वाले समय के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें सांविधिक/राज्य सरकार के निकायों से मंज़ूरी लेने में लगने वाला समय, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के कारण व्यापार के लिए प्रतिकूल वातावरण, वित्तीय प्रोत्साहनों में बदलाव, आदि शामिल हैं।

(ड.) एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 (जिसमें नियम 79 भी शामिल है) के प्रावधानों के अनुसार सभी एसईजेड के कार्य निष्पादन और उससे पड़ने वाले प्रभावों का नियमित रुप से मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग की समग्र देखरेख में, संबंधित विकास आयुक्त का कार्यालय एसईजेड इकाइयों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्टो के आधार पर सभी एसईजेड के समग्र कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

(च) उपयोग मे सुधार करने, निवेश आकर्षित करने और एसईजेड को घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से, सरकार समय-समय पर एसईजेड की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाती है। इन पहलों में परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति के लिए सिंगल-विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म को कार्यान्वित करना और अनावश्यक प्रक्रियात्मक अनुपालनों को समाप्त करके एसईजेड परिचालन को नियंत्रित करने वाले नियामक फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित करना शामिल है। ये कदम या सुधार, जिनमें नीतिगत पहल भी शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है और एसईजेड के प्रशासन के अंतर्निहित हैं।

अनुलग्नक -I

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

एसईजेड का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार वितरण (31.07.2026 तक)				
राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कुल अधिसूचित एसईजेड	कुल परिचालित एसईजेड	गैर-परिचालित एसईजेड	डी-नोटिफाइड एसईजेड
आंध्र प्रदेश	31	25	6	5
अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0
बिहार	2	0	2	0
चंडीगढ़	2	2	0	0
छत्तीसगढ	3	1	2	0
दादर और नागर हवेली, और दमन और दीव	0	0	0	1
दिल्ली	0	0	0	1
गोवा	3	0	3	0
गुजरात	28	22	6	11
हरियाणा	22	8	14	13
झारखंड	2	1	1	0
कर्नाटक	49	38	11	10
केरल	20	19	1	7
मध्य प्रदेश	8	6	2	4
महाराष्ट्र	41	36	5	22
मणिपुर	1	0	1	0
नागालैंड	2	0	2	0
ओडिशा	6	5	1	3
पुडुचेरी	2	0	2	0
पंजाब	3	3	0	0
राजस्थान	6	3	3	2
तमिलनाडु	58	49	9	11
तेलंगाना	50	38	12	14
त्रिपुरा	1	0	1	0
उत्तराखंड	0	0	0	1
उत्तर प्रदेश	23	14	9	2
पश्चिम बंगाल	8	7	1	3
कुल योग	372	277	95	110

अनुलग्नक- II

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार अधिसूचित और परिचालित भूमि क्षेत्र का विवरण (31.07.2026 तक)			
राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	अधिसूचित एसईजेड कि संख्या	कुल अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल परिचालित एसईजेड क्षेत्र (हेक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	31	6780.51	6096.21
अरुणाचल प्रदेश	1	30.20	0
बिहार	2	101.782	0
चंडीगढ़	2	39.18	39.18
छतीसगढ	3	114.11	101.28
गोवा	3	249.475	0
गुजरात	28	13159.43	12811.88
हरियाणा	22	335.63	122.24
झारखंड	2	259.09	222.67
कर्नाटक	49	1919.50	1640.00
केरल	20	769.79	752.71
मध्य प्रदेश	8	678.19	664.01
महाराष्ट्र	41	4210.42	4114.07
मणिपुर	1	10.85	0
नागालैंड	2	340.70	0
ओडिशा	6	761.14	751.02
पंजाब	3	57.71	57.71
पुडुचेरी	2	94.87	0
राजस्थान	6	804.93	646.90
तमिलनाडु	58	4334.45	3880.00
तेलंगाना	50	1564.41	1136.57
त्रिपुरा	1	16.35	0
उत्तर प्रदेश	23	706.30	447.72
पश्चिम बंगाल	8	229.88	205.59
कुल योग	372	37568.90	33689.74

अनुलग्नक-III

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-III

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड से निर्यात का राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र-वार विवरण						
						(करोड़ रुपये में)
क्रम. संख्या.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	31028.90	40420.34	44984.45	55247.04	52953.85
2	चंडीगढ़	2605.38	3021.80	3200.03	3084.75	3391.05
3	गुजरात	239190.01	335835.73	310283.13	332891.81	405595.08
4	हरियाणा	25907.14	32739.98	36774.15	43198.79	48261.19
5	झारखंड	0.00	363.75	6326.29	6856.28	10704.03
6	कर्नाटक	167311.30	218772.87	228952.07	248838.73	269004.47
7	केरल	21972.23	21501.13	25774.17	28799.83	31717.82
8	मध्य प्रदेश	12571.26	12859.28	16026.96	14847.01	16539.33
9	महाराष्ट्र	160051.78	186786.75	210756.46	224250.91	243422.50
10	ओडिशा	26366.94	27165.58	31331.66	29694.50	41295.64
11	पंजाब	2127.41	2685.01	3131.50	2361.22	2732.45
12	राजस्थान	4578.34	5507.32	7141.28	13636.43	12386.55
13	तमिलनाडु	136328.71	172580.41	177930.39	203303.56	212288.11
14	तेलंगाना	105523.98	140373.43	178086.41	173701.12	195177.09
15	उत्तर प्रदेश	33014.90	39835.68	47703.94	51137.58	57323.76
16	पश्चिम बंगाल	22168.80	23129.18	26817.34	31819.85	33398.70
कुल		990747	1263578	1355220	1463669	1636192

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसईजेड से सृजित रोज़गार का राज्य/संघ –राज्य क्षेत्र वार विवरण						
						(व्यक्तियों की संख्या)
क्रम. सं.	राज्य/संघ –राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	75907	78866	79831	79523	79523
2	चंडीगढ़	8972	10784	9475	8562	7897
3	छतीसगढ	6	6	6	6	6
4	गुजरात	105922	112899	126658	174545	121039
5	हरियाणा	150482	178413	182783	198668	208586
6	झारखंड	0	0	79	69	60
7	कर्नाटक	398580	401232	424497	424715	467011
8	केरल	82640	86484	89189	89106	99202
9	मध्य प्रदेश	31127	36401	35955	35316	34535
10	महाराष्ट्र	560052	589971	635373	643898	651835
11	ओडिशा	8222	13538	14513	13133	13152
12	पंजाब	9545	12079	11216	11801	13918
13	राजस्थान	23402	24581	35469	48886	53996
14	तमिलनाडु	523807	591517	728493	607812	626700
15	तेलंगाना	469781	500415	538714	527246	527246
16	उत्तर प्रदेश	161712	184871	196662	223306	255989
17	पश्चिम बंगाल	86023	73555	85191	91301	100452
कुल		2696180	2895612	3194104	3177893	3261147

नोट: कुल आधार पर गणना की गई।

अनुलग्नक-IV

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-IV

ज़ोन का नाम	स्वीकृत एसईजेड इकाइयों की संख्या	परिचालित एसईजेड इकाइयों की संख्या
सीएसईजेड	1268	1218
एफएसईजेड	98	92
केएएसईजेड	1894	1400
एमईपीजेड	848	780
एनएसईजेड	784	747
सीईईपीजेड	768	704
वीएसईजेड	563	539
कुल	6223	5480
